न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
05/2011	01.02.2011	1-4-26

मूर्ति मंदिर श्री गंगाजी महाराज शाश्वत नाबालिग जरिए वादमित्र

1. अशोक कुमार पुत्र बदरीलाल, ब्राह्मण, गंगापुर सिटी
2. वरूण कुमार पुत्र वरण सिंह, गुर्जर निवासी गंगापुर सिटी —प्रार्थीगण

बनाम

1. रूपनारायण (रामनारायण) पुत्र रघुनाथ, महाजन, गंगापुर सिटी
2. कैलाश चंद पुत्र रामसहाय , महाजन, गंगापुर सिटी
3. बजरंग कुमार पुत्र रामसहाय, महाजन गंगापुर सिटी
4. बजरंग लाल पुत्र बालूराम, जांगिड निवासी गंडाल हाल गंगापुर सिटी —अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र रिसीवरी

उपस्थित :– श्री परमानंद शर्मा, एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से
श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र रिसीवरी इस आशय का प्रस्तुत किया है कि मूर्ति मंदिर श्री गंगाजी महाराज विराजमान गंगापुर सिटी की खातेदारी की भूमि ख0न0 296 रकबा 33 एयर, ख0न0 297 रकबा 2 एयर गैर मुमकिन कुआ, ख0न0 298 रकबा 51 एयर ग्राम मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी मे स्थित है। जिसके साबिक ख0न0 157/2 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा जो एकीकरण से कायम किये गये तथा एकीकरण से पूर्व उक्त भूमि के ख0न0 359, 360, 363 रहे है जिनका इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित है। संवत 2003 से 2022 की जमाबंदी मे खसरा नम्बर 359, 360, 363 सिता ग्राम मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी मूर्ति मंदिर श्री गंगाजी महाराज की खातेदारी मे अंकित रही है। जिसे तत्समय पुजारीगण द्वारा आध बंटाई व मजदूरी पर काश्त करवाया जाता था। पुजारियों की लापरवाही से उक्त भूमि को आध बंटाई पर काश्त करने वाले राजस्व कर्मचारियों से साज कर स्वयं के नाम खातेदारी दर्ज करवा ली। ख0न0 359 व 360 आध बंटाई पर काश्त करने वाले गोकुल पुत्र दत्या तथा ख0न0 363 राजी लाल पुत्र कौरया आदि ने अपने नाम अंकित करवा ली। जिसके बाद भूप्रबंध अधीन एकीकरण मे ख0न0 157/2 कायम किये गये। साबिक ख0न0 157/2 के खातेदारों ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय भूमि अंतरित कर दी जबकि वास्तव मे भूमि श्रीगंगाजी महाराज शाश्वत नाबालिग की कृषि भूमि है। जिसको अंतरित नही किया जा सकता है। अप्रार्थीगण गलत इन्द्राज के आधार पर भूमि को कृषि से अकृषि से खुर्दबुर्द करना चाहते एवं आवासीय भूखंड के

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 15:59:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

16

रूप मे प्लाट काटना चाहते है जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है। अतः प्रार्थना पत्र रिसीवरी प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि ख0न0 296 रकबा 33 एयर, ख0न0 297 रकबा 2 एयर गैर मुमकिन कुआ, ख0न0 298 रकबा 51 एयर ग्राम मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी को ताफैसला दावा कब्जे राज मे ली जाकर काश्त व्यवस्था किये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थीगण ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र रिसीवरी प्रस्तुत कर अंकित किया है कि मूर्ति मंदिर श्री गंगाजी महाराज के वादमित्र बनकर अशोक कुमार एवं वरूण कुमार ने गलत आधार पर दावा प्रस्तुत किया है। अशोक कुमार ग्राम नादौती का निवासी है एवं वरूण कुमार ग्राम ब्रह्मवाद का निवासी है तथा दोनो ही भूमाफिया है। मंदिर की भूमि के लिए हितो की सही रूप से पैरवी भी नही कर सकते है। इनका मंदिर से कोई वास्ता नही है। विवादित भूमि मंदिर की खातेदारी की भूमि थी। जिस पर खुदकाश्त जगन पुत्र अमरचंद गुर्जर निवासी मिर्जापुर एवं उसके बुजुर्गो की रही है। संवत 2010 मे भूमि ख0न0 361 व 362 को जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के तहत राज्य सरकार द्वारा भूमि का खालसा दर्ज कर भूमि उपकृषक जगन पुत्र अमरचंद के नाम खातेदारी मे दर्ज कर दी। भूमि खालसा होने के बाद मंदिर का भूमि से कोई सम्बन्ध नही होता है क्योकि मंदिर के हक मे एन्यूटी जारी कर दी गई थी। राज्य सरकार द्वारा भी इस सम्बन्ध मे सन 1997 व 2010 मे परिपत्र जारी किये गये है जिनके अनुसार भूमि एक बार खालसा दर्ज होने के बाद पुनः मंदिर के नाम दर्ज नही हो सकती है। भूमि के खातेदार द्वारा अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूमि का सही प्रकार से बेचान किया गया है। प्रार्थीगण ने दावा गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है। अतः जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रिसीवरी खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र रिसीवरी के समर्थन में प्रार्थीगण ने फोटोकोपी नकल खतौनी बंदोबस्त 2003 लगायत 2022, नकल मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण, नकल मिलान क्षेत्रफल भूप्रबन्ध, नकल जमाबंदी संवत 2032 से 2035, 2065–68, प्रस्तुत किये है।

अप्रार्थीगण ने अपने जबाब के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 15:59:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

17

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए रिसीवरी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि को कब्जे राज मे लेकर काश्त व्यवस्था करवाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस मे कहा कि वादग्रस्त भूमि खालसा होकर इसकी खातेदारी उप कृषक जगन गुर्जर के नाम दर्ज हो गई थी एवं उक्त खातेदार ने यह भूमि अप्रार्थीगण को विधिवत रू॰ से विक्रय कर दी। जिसे भू–प्रबन्ध विभाग वालों ने बिना किसी अधिकार के भूमि को मंदिर श्री गंगाजी महाराज की खातेदारी में दर्ज कर दिया। मौके पर कभी गंभीर स्थिति भी पैदा नही हुई है। गंभीर विवाद सम्बन्धी कोई दस्तोवज भी प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को कोई नुकसान नही पहुचाया जा रहा है एवं भूमि का ट्रांसफर भी नही किया जा रहा है। प्रार्थीगण का केस रिसीवर नियुक्त किये जाने बाबत नही बनता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी यह मत प्रतिपादित किया गया है कि भूमि खालसा होने के बाद एवं उपकृषक के नाम खातेदारी मे दर्ज होने के बाद पुनः मंदिर के नाम दर्ज नही की जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा भी इस सम्बन्ध मे समय समय पर परिपत्र जारी किये जाते रहे है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र रिसीवरी खारिज फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख के अनुसार वादग्रस्त भूमि वर्तमान मे मंदिर श्री गंगाजी की खातदेारी मे दर्ज है। अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जबाब एवं प्रार्थीगण की ओर से वादपत्र में प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार वादग्रस्त भूमि ख0नं0 296, 297, 298 ग्राम मिर्जापुर वर्तमान में अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। इनका एकीकरण में ख0नं0 157/2 रहा है जो अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज रही है। उसके अनुसार ही अप्रार्थीगण भूमि पर वर्तमान मे काबिज चले आ रहे है। भूमि को रिसीवरी मे लेने के लिए आवश्यक बिन्दु भूमि को वेस्ट, डेमेज, एलिनियेट पत्रावली पर उपलब्ध नही है। प्रार्थी ने भी इस तरह का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नही कराया है जिससे यह ज्ञात होता हो कि अप्रार्थीगण द्वारा भूमि को वेस्ट, डेमेज या एलिनियेट किया जा रहा है । ऐसी स्थिति मे भूमि को रिसीवरी मे लिया जाना न्यायोचित नही है। चूकि भूमि मंदिर के नाम खातेदारी मे दर्ज है ऐसी स्थिति मे भूमि की वर्तमान स्थिति मे कोई परिवर्तन नही हो इसलिए हम अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 15:59:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

18

मूर्ति मंदिर श्री गंगाजी महाराज बनाम रूपनारायण वगैरा, प्रा0पत्र रिसीवरी

को भूमि की वर्तमान स्थिति यथावत बनाए रखने के लिए पाबंद करना उचित समझते है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रिसीवरी खारिज किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे भूमि ख0न0 296 रकबा 0.33 है0, ख0नं0 297 रकबा 0.02 है0 गै0मु0चाह, ख0नं0 298 रकबा 0.51 है0 ग्राम मिर्जापुर की मौके की स्थिति यथावत बनाए रखे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 1-5-26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 15:59:39 IST
Reason: SelfAttested